मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 नियम 6–7, जाब्ता दीवान)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 51/2023

मोहित पुत्र श्री वेदप्रकाश जाति जाट निवासी ग्राम बड़ोपल हाल आबाद चौटाला, सिरसा हरियाणा ।

वादी

बनाम

तहसीलदार राजस्व, पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा

वादीगण की ओर से श्री संजय चाण्डक अधिवक्ता, प्रतिवादी राजपैरोकार आज दिनांक को **अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.** उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि, प्रश्नगत रकबा के संबंध में वर्तमान अभिलेख का अवलोकन किया गया जिसमें कृषि भूमि वादी के नाम से गैर खातेदार अंकित है जिसकी खातेदारी हेतु वादी द्वारा निर्धारित प्रारूप में 15 एएए खातेदारी हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर तहसीलदार पीलीबंगा से कब्जा के सबंध में प्रश्नोतरी रिपोर्ट लिया जाकर 15 एएए के तहत खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने है वर्तमान में प्रश्नगत रकबा विशेष आवंटन सूची में अधिसूचित है। खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने से पूर्व विशेष आवंटन से मुक्त किया जाना आवश्यक है। विशेष आंवटन से मुक्त होने के पश्चात वादी खातेदारी हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है। वाद वादी साबित नहीं होने से अस्वीकार किया जाता है।

आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 23-12-2024 ...... को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.01.23 10:36:04 IST
Reason: SelfAttested